# 21

# कार्यपालिका

भारत एक लोकतांत्रिक गणराज्य है। यह अट्ठाईस (28) राज्यों एवं 7 संघीय क्षेत्रों का संघ है। राज्यों का संघ होने के कारण शासन के दो स्तर हैं। केन्द्र में सरकार को केन्द्रीय सरकार और राज्य स्तर पर सरकार को राज्य सरकार कहते हैं। संघीय (केन्द्रीय) सरकार के तीन अंग हैं- विधायिका (संसद) कार्यपालिका (राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद) और न्यायपालिका (सर्वोच्च न्यायालय)। इस पाठ में हम केन्द्र तथा राज्यों में सरकार के एक अंग कार्यपालिका अंग के बारे में पढ़ेंगे।

## उद्देश्य

इस पाठ को पढ़ने के बाद आप:

- संघीय सरकार की नाममात्र की कार्यपालिका और वास्तविक कार्यपालिका में अन्तर समझ सकेंगे;
- कार्यपालिका के कार्यों का वर्णन कर सकेंगे;
- भारत के राष्ट्रपति की स्थिति को समझ सकेंगे;
- राष्ट्रपति की विधायी, कार्यपालिका सम्बन्धी और न्यायिक शक्तियों को जान पाएंगे;
- मन्त्रिपरिषद के कार्यों और शक्तियों को रेखांकित कर सकेंगे;
- प्रधानमंत्री के कार्यों, शक्तियों और स्थिति की व्याख्या कर पाएंग;
- राज्य की कार्यपालिका के मुखिया के रूप में राज्यपाल की भूमिका का आकलन कर सकेंगे; तथा
- राज्यपाल की स्थिति, शक्तियों और कार्यों का समझ सकेंगे।

## 21.1 संघीय कार्यपालिका

भारत सरकार की संघीय कार्यपालिका में राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद सम्मिलित होती है। कार्यपालिका का यह भाग अस्थायी और राजनीतिक कार्यपालिका कहलाता है क्योंकि प्रत्येक साधारण चुनाव के बाद सरकार में परिवर्तन के साथ इसमें भी परिवर्तन हो जाता है। कार्यपालिका का दूसरा भाग सरकारी अफसर और कर्मचारी अथवा अफसरशाही

है जो स्थायी रूप से एक निश्चित आयु तक निरन्तर काम करते हैं। राष्ट्रपति कार्यपालिका के दोनों भागों का मुखिया है और संविधान के प्रावधानों के अन्तर्गत कार्यपालिका की सभी शक्तियां राष्ट्रपति में निहित हैं। इस शक्ति का प्रयोग राष्ट्रपति के आधीन कार्यालयों द्वारा उसके नाम से किया जाता है। राष्ट्रपति संघीय कार्यपालिका में सर्वोपरि है। कार्यपालिका की सभी कार्रवाईयां औपचारिक रूप से उसके नाम से की जाती हैं। राष्ट्रपति, भारत के रक्षा बलों का सर्वोच्च सेनापति होता है।

जैसा कि आप जानते हैं कि भारत एक गणराज्य है, इसलिए यहां राज्याध्यक्ष अर्थात राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है। भारत के संवधान में राष्ट्रपति को चुनने की एक प्रणाली निश्चित की गई है।

### 21.1.1 राष्ट्रपति का चुनाव

राष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से लोकसभा और राज्यसभा अर्थात संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्यों तथा 28 राज्यों की विधानसभाओं के साथ-साथ राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली और संघीय क्षेत्र पुद्दुचेरी की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों द्वारा निर्मित निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता है। लोकसभा, राज्यसभा तथा विधानसभाओं के मनोनीत सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में वोट देने का अधिकार नहीं रखते। भारत के राष्ट्रपति पद के लिए संविधान में कुछ योग्यताएं निश्चित की गई हैं।

### 21.1.2 योग्यताएँ

राष्ट्रपति पद के लिए आवश्यक योग्यताएं निम्नलिखित हैं:-

1. भारत का नागरिक होना चाहिए।
2. 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो।
3. लोकसभा का सदस्य चुने जाने की योग्यताएं रखता हो।
4. संघीय सरकार अथवा किसी राज्य सरकार के अन्तर्गत लाभ के किसी पद पर आसीन नहीं होना चाहिए। हालांकि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल अथवा केन्द्रीय या राज्य के मंत्री पद को 'लाभ का पद' नहीं माना जाता।

### 21.1.3 चुनाव प्रक्रिया

राष्ट्रपति का चुनाव अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अनुसार एकल हस्तातंरणीय मत के माध्यम से किया जाता है। यह चुनाव गुप्त मतदान द्वारा किया जाता है। जहां तक सम्भव हो राष्ट्रपति के चुनाव में विभिन्न राज्यों के प्रतिनिधित्व में समानता होनी चाहिए। अत: राज्यों के बीच समानता तथा सभी राज्यों को मिलाकर संघ के साथ बराबरी प्राप्त करने के उद्देश्य से प्रत्येक मतदाता द्वारा डाले गए मत का मूल्य निम्नलिखित तरीके से निर्धारित किया जाता है।

किसी राज्य की विधानसभा के $= \dfrac{\text{राज्य की कुल जनसंख्या}}{\text{राज्य विधान सभा के निर्वाचित सदस्यों की कुल संख्या}} \times \dfrac{1}{1000}$

प्रत्येक सदस्य के मत का मूल्य

उदाहरण के लिए यदि किसी राज्य की जनसंख्या 2, 45, 48,000 है और निर्वाचित सदस्यों की संख्या 120 है तो प्रत्येक सदस्य के मत का मूल्य होगा–

$$\frac{24548000\times1}{120\times100}=204.54=205$$

यहां जनसंख्या का अर्थ उस जनसंख्या से है जो पिछली जनगणना में थी तथा जिस संख्या को प्रकाशित किया जा चुका है। इसी प्रकार एक तरफ संसद के निर्वाचित सदस्यों के मतों तथा दूसरी तरफ सभी राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों के मतों में बराबरी लाने के लिए संसद के प्रत्येक सदस्य के मत का मूल्य निम्नलिखित ढंग से निर्धारित किया जाता है।

संसद के प्रत्येक सदस्य के मत का मूल्य =

उदाहरण के लिए मान लीजिये कि सभी राज्यों की विधानसभाओं के सदस्यों के मतों का कुल मूल्य 8,44,613 है और संसद के कुल निर्वाचित सदस्य 776 हैं तो संसद के प्रत्येक सदस्य के मत का मूल्य होगा–

$$\frac{\text{विधान सभाओं के सदस्यों के मतों का कुल मूल्य}}{\text{निर्वाचित सदस्य संख्या}}$$

चुनाव प्रक्रिया के अन्तर्गत सभी उम्मीदवारों के नाम मतपत्र पर दर्ज किए जाते हैं। राज्य विधानसभाओं के सदस्य अपने राज्य की राजधानी में मतदान कर सकते हैं और संसद के सदस्य नई दिल्ली अथवा अपने राज्य की राजधानी में मतदान कर सकते हैं। मतों की गिनती नई दिल्ली में होती है और भारत का चुनाव आयोग चुनाव का प्रबन्ध करता है। सबसे पहले सभी उम्मीदवारों को प्राप्त पहली पसन्द वाले मतों की गिनती की जाती है। विजयी उम्मीदवार को डाले गए कुल वैध मतों के 50% से अधिक प्राप्त होने चाहिए। इस संख्या को 'निर्वाचकीय कोटा' कहा जाता है।

$$\text{निर्वाचकीय कोटा} = \frac{\text{कुल डाले गए वैध मत}}{1+1=(2)}+1$$

यदि पहली पसन्द की गिनती के बाद कोई उम्मीदवार कोटा प्राप्त नहीं कर पाता तब पहली पसन्द के सबसे कम मत प्राप्त करने वाले उम्मीदवार के दूसरी पसन्द के मतों को अन्य उम्मीदवारों को स्थानान्तरित कर दिया जाता है और उस उम्मीदवार को मुकाबले से हटा दिया जाता है। पसन्द आधारित मतों के इस प्रकार से स्थानान्तरण की प्रक्रिया को तब तक दोहराया जाता है जब तक किसी एक उम्मीदवार को निश्चित कोटा प्राप्त नहीं हो जाता।

### 21.1.4 कार्यकाल

अनुच्छेद 56 राष्ट्रपति के कार्यकाल की व्याख्या करता है–

(i) राष्ट्रपति अपना पद सम्भालने की तिथि से पांच वर्ष तक अपने पद पर रहेगा।

टिप्पणी

(ii) कोई व्यक्ति जो राष्ट्रपति पद पर आसीन है अथवा जो इस पद पर पहले रह चुका हो वह संविधान की अन्य शर्तों को पूरा करने के बाद दोबारा चुनाव लड़ सकता है। हमारे प्रथम राष्ट्रपति डा. राजेंद्र प्रसाद दो बार निर्वाचित हुए थ। अन्य कोई राष्ट्रपति दो बार नहीं चुना गया।

### 21.1.5 राष्ट्रपति को अपदस्थ करना

संविधान का अनुच्छेद 61 राष्ट्रपति को अपदस्थ (महाभियोग) करने की शर्तें निर्धारित करता है। यद्यपि राष्ट्रपति का पद सम्मान और गरिमा का पद है तथापि उसको संविधान का उल्लंघन करने पर पद से हटाया जा सकता है। राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने का प्रस्ताव संसद के दोनों सदनों में से किसी एक सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है। प्रस्ताव को सदन के कुल सदस्यो के एक चौथाई का समर्थन प्राप्त होना चाहिए तथा सदन के दो तिहाई सदस्यों के बहुमत से पारित होना चाहिए। एक सदन में पारित होने के बाद यह प्रस्ताव दूसरे सदन में आरोपों की जांच के लिए भेजा जाता है।

राष्ट्रपति पर लगाए गए आरोपों की जांच दूसरा सदन करता है। राष्ट्रपति स्वयं अथवा अपने वकील के माध्यम से अपना बचाव कर सकता है। यदि दूसरा सदन भी प्रस्ताव को दो तिहाई बहुमत से स्वीकार कर लेता है तो महाभियोग की प्रक्रिया सफल मानी जाती है और राष्ट्रपति उस तिथि से अपदस्थ माना जाता है जिस तिथि को दूसरा सदन उस प्रस्ताव को पारित करता है। ऐसा प्रस्ताव दोनों सदनों से पारित होना चाहिए। राष्ट्रपति को अपदस्थ करने की प्रक्रिया को महाभियोग कहते हैं।

### 21.1.6 राष्ट्रपति पद का रिक्त होना

राष्ट्रपति का पद मृत्यु अथवा त्यागपत्र अथवा महाभियोग के कारण रिक्त हो सकता है। ऐसी स्थिति में भारत का उपराष्ट्रपति स्वत: ही राष्ट्रपति का कार्यभार सम्भाल लेता है। राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव 6 महीने के अन्दर करवा लेना चाहिए क्योंकि उपराष्ट्रपति 6 महीने से अधिक कार्यभार नहीं सम्भाल सकता है। राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को भेज कर त्यागपत्र दे सकता है। उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के त्यागपत्र की सूचना लोकसभा के अध्यक्ष को देता है।

## पाठ्गत प्रश्न 21.1

1. भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन हेतु निर्वाचक मण्डल के संगठन का वर्णन कीजिए।
2. संघीय कार्यपालिका का अध्यक्ष किसको कहा जाता है?
3. भारत के राष्ट्रपति पद के लिए आवश्यक योग्यताओं का उल्लेख कीजिए।
4. भारत के राष्ट्रपति पद के चुनाव हेतु विधानसभा के प्रत्येक सदस्य के 'मत के मूल्य' की गणना किस प्रकार की जाती है?
5. भारत के राष्ट्रपति पद के चुनाव हेतु संसद के प्रत्येक सदस्य के 'मत के मूल्य' की गणना किस प्रकार की जाती है?

6. निर्वाचकीय कोटा से क्या अभिप्राय है और भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के लिए इसकी गणना किस प्रकार की जाती है।
7. राष्ट्रपति को अपने पद से अपदस्थ करने की प्रक्रिया का नाम लिखिए।
8. उन परिस्थितियों का उल्लेख कीजिए जिनमें राष्ट्रपति का पद रिक्त हो सकता है।
9. राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उसका कार्यभार कौन सम्भालता है?

## 21.2 राष्ट्रपति की शक्तियां

जैसा कि आप जानते हैं कि राष्ट्रपति राज्य का अध्यक्ष तथा संघीय कार्यपालिका का भी अध्यक्ष होता हैं। वह देश का प्रथम नागरिक तथा भारत की सेनाओं का मुख्य सेनापति होता है। राष्ट्रपति पद में निहित शक्तियों का वास्तविक प्रयोग उसके नाम पर मंत्रिपरिषद करती है। संविधान का अनुच्छेद 74 कहता है कि राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए प्रधानमंत्री के नेतृत्व में एक मंत्रिपरिषद होगी जिसकी सलाह (परामर्श) के अनुसार राष्ट्रपति अपनी शक्तियों का प्रयोग करेगा। 44वें संविधान संशोधन के अनुसार राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद को अपने परामर्श पर पुनर्विचार करने के लिए कह सकता है परन्तु पुनर्विचार के बाद दिए गए परामर्श अनुसार कार्रवाई करने को बाध्य है। अतः राष्ट्रपति कार्यपालिका का नाममात्र का अध्यक्ष है जबकि प्रधानमंत्री कार्यपालिका का वास्तविक मुखिया है जो मंत्रीपरिषद का अध्यक्ष होता है। डा. बी. आर. अम्बेडकर ने ठीक ही कहा है कि भारत में राष्ट्रपति की वही स्थिति है जो ब्रिटिश संविधान में राजा या रानी की है। राष्ट्रपति की शक्तियों को निम्नलिखित ढंग से वर्गीकृत किया जा सकता है।

### अ) कार्यपालिका सम्बन्धी शक्तियां

अनुच्छेद 53 के अनुसार संघ की कार्यपालिका सम्बन्धी शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होंगी जिनका वह प्रत्यक्ष अथवा अपने अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से संवधिान के अनुसार प्रयोग कर सकेगा/सकेगी। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को नियुक्त करता है और उसके परामर्श से अन्य मंत्रियों को नियुक्त करता है। राष्ट्रपति द्वारा की गई यह नियुक्ति अति महत्वपूर्ण है क्योंकि वास्तव में प्रधानमंत्री अपनी मंत्रीपरिषद के साथ राष्ट्रपति की सभी शक्तियों का प्रयोग करता है। राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश तथा अन्य न्यायाधीशों को नियुक्त करता है। इस प्रकार की सभी नियुक्तियों के लिए सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की सलाह ली जाती है। वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय के 1993 के निर्णय के अनुसार, जिसकी 1999 में पुनर्व्याख्या की गई राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीशों के पेनल की सिफारिशें मानने को बाध्य है। वरिष्ठ सदस्यों के इस पेनल को सर्वोच्च न्यायालय को 'कोलेजियम' कहते हैं। राष्ट्रपति महान्यायवादी (एटार्नी जनरल), नियन्त्रक एवं महालेखा परीक्षक (कैग), मुख्य चुनाव आयुक्त, संघ लोक सेवा आयोग के चेयरमैन तथा अन्य सदस्यों, संघीय क्षेत्रों के उप-राज्यपालों, दूसरे देशों में भारत के राजदूतों तथा उच्चायोगों को नियुक्त करता है। वह थल, जल और वायु सेना के अध्यक्षों की नियुक्ति करता है। अतः राष्ट्रपति के पास अधिकांश महत्वपूर्ण नियुक्तियां करने की शक्ति है। सभी कूटनीतिक कार्य, अन्तर्राष्ट्रीय संन्धियां और समझौते उसके नाम से किए जाते हैं।

टिप्पणी



### ब) विधायी शक्तियां

राष्ट्रपति संसद का अभिन्न अंग है और उसे अनेक विधायी शक्तियां प्राप्त हैं। राष्ट्रपति एक वर्ष में कम से कम दो बार संसद का अधिवेशन बुला सकता है और ऐसे दो अधिवेशनों के बीच 6 महीने से अधिक का अन्तराल नहीं होना चाहिए। राष्ट्रपति प्रत्येक साधारण चुनावों के बाद दोनों सदनों के पहले संयुक्त अधिवेशन को सम्बोधित करता है तथा प्रत्येक वर्ष के पहले अधिवेशन को भी सम्बोधित करता है। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर लोकसभा को भंग कर सकता है। राष्ट्रपति के पास राज्यसभा में 12 सदस्यों और लोकसभा में दो एंग्लो इंन्डियन सदस्यों को मनोनीत करने की शक्ति है।

ससंद द्वारा पारित प्रत्येक विधेयक को कानून बनाने के लिए राष्ट्रपति के पास उसकी स्वीकृति के लिए भेजा जाता है। उसकी स्वीकृति के बिना कोई विधेयक कानून नहीं बन सकता। जब संसद का अधिवेशन नहीं चल रहा हो तो राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है। यह अध्यादेश कानून की शक्ति रखता है और इसको संसद के दोनों सदनों द्वारा अधिवेशन शुरु होने के 6 सप्ताह के अन्दर स्वीकार करना होता है अन्यथा यह अपने आप ही समाप्त हो जाता है।

### स) वित्तीय शक्तियां

भारत का राष्ट्रपति भारत की आकस्मिक निधि का संरक्षक होता है। यह निधि संघीय सरकार द्वारा किसी अप्रत्याशित खर्चे के लिए रखी जाती है। राष्ट्रपति का इस निधि पर पूरा अधिकार होता है। सभी धन विधेयक राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति से लोकसभा में प्रस्तावित किए जाते हैं। वार्षिक बजट और रेलवे बजट राष्ट्रपति की सिफारिश पर प्रस्तुत किए जाते हैं। राष्ट्रपति प्रत्येक पांच वर्ष बाद एक वित्त आयोग को नियुक्त करता है। भारत के *महालेखा परीक्षक और नियंत्रक* की रिपोर्ट आवश्यक कार्यवाही हेतु राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत की जाती है।

### द) न्यायिक शक्तियां

राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीश एवं अन्य न्यायाधीशों को नियुक्त करता है। राष्ट्रपति को कुछ विशेषाधिकार तथा स्वतंत्रताएं प्राप्त हैं। वह राष्ट्रपति के रूप में अपने कार्यों के लिए किसी भी अदालत के समक्ष जवाबदेह नहीं है। उसके कार्यकाल के दौरान उस पर किसी प्रकार का आपराधिक मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। उसको न तो गिरफ्तार किया जा सकता है और न ही किसी अदालत में उपस्थित होने के लिए कहा जा सकता है। किसी दीवानी मुकदमे के लिए भी दो महीने की पूर्व सूचना आवश्यक है।

राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय अथवा उच्च न्यायालय द्वारा दण्डित किसी अपराधी को माफ कर सकता है या उसकी सजा/दण्ड को कम अथवा स्थगित कर सकता है। वह कोर्ट मार्शल द्वारा दण्डित व्यक्ति को भी माफ कर सकता है। उसकी माफ करने की शक्ति में मृत्युदण्ड माफ करना भी शामिल है।, लेकिन राष्ट्रपति इस शक्ति का प्रयोग गृह मंत्रालय की सलाह पर करता है।

### ई) आपातकालीन शक्तियां

भारत के संविधान में कुछ आपातकालीन प्रावधान हैं जो राष्ट्रपति को उस स्थिति में आपातकाल घोषित करने की शक्ति देते हैं जब कोई असामान्य स्थिति पैदा हो जाए जिसमें संविधान का

सामान्य कार्य कर पाना सम्भव न हो। संविधान के अनुच्छे 352, 356 और 360 में ऐसी असामान्य और अभूतपूर्व स्थितियों से निपटने के प्रावधान हैं जिन्हें आपातकालीन शक्तियां कहते हैं। संविधान निर्माताओं ने तीन प्रकार की अभूतपूर्व स्थितियों की कल्पना की है; पहली जब युद्ध अथवा बाहरी आक्रमण से देश की सुरक्षा को खतरा हो। दूसरे जब किसी राज्य में संवैधानिक ढांचा टूटने के कारण राज्य सरकार के लिए संविधान के अनुसार काम करना कठिन अथवा सम्भव न हो। तीसरे जब देश के वित्तीय स्थायित्व को खतरा हो। आइये हम इन प्रावधानों और राष्ट्रपति की शक्तियों की भिन्न-भिन्न शीर्षकों के अन्तर्गत चर्चा करें।

## 1. राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा (अनुच्छेद 352)

यदि संघीय मंत्रीमण्डल, जिसमें प्रधानमंत्री और केबिनेट स्तर के मंत्री लिखित रूप में राष्ट्रपति को इस प्रकार की घोषणा करने के लिए सिफारिश करें तो अनुच्छेद 352 के अन्तर्गत राष्ट्रपति आपातकाल घोषित कर सकता है। राष्ट्रपति केवल केबिनेट की लिखित सिफारिश पर ही आपातकाल घोषित कर सकता है जिसे युद्ध, बाहरी आक्रमण अथवा आन्तरिक सशस्त्र विद्रोह के कारण सुरक्षा को खतरे के आधार पर किया जाता है। राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा को एक महीने के भीतर संसद की स्वीकृति के लिए संसद के समक्ष रखा जाता है। ऐसी घोषणा संसद द्वारा 6 महीने बाद स्वत: ही प्रभावहीन हो जाएगी यदि इसे 6 महीने का समय पूरा होने से पहले दोबारा स्वीकार नहीं कर लिया जाता। ऐसी घोषणा का सदन की कुल संख्या के बहुमत तथा उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों के दो तिहाई बहुमत से पारित होना अनिवार्य है। इस प्रकार की घोषणा हमारे देश में तीन बार की गई है। पहली बार यह घोषणा 26 अक्तूबर 1962 को की गई थी जब चीन ने हमारी सीमाओं पर आक्रमण किया था। दूसरी बार यह घोषणा 3 दिसम्बर 1971 को की गई थी जब पाकिस्तान ने आक्रमण किया था और तीसरी बार 25 जून 1975 को आन्तरिक गड़बड़ी के आधार पर की गई। इस प्रकार के आपातकाल की घोषणा से व्यक्ति के अधिकार और राज्यों की स्वायतता प्रभावित होती है। देश का संघीय ढांचा एकात्मक हो जाता है और संघीय सरकार की शक्ति बढ़ जाती है और यह ऐसे विषयों पर कानून बना सकती है जो राज्य सूची में दर्ज हैं। राष्ट्रपति राज्यों को आवश्यक निर्देश भी जारी कर सकता है।

आपातकाल की अवधि के दौरान भारत का राष्ट्रपति केंद्र और राज्यों के बीच राजस्व का बंटवारा करने वाले प्रावधानों में परिवर्तन कर सकता है। युद्ध अथवा बाहरी आक्रमण के आधार पर घोषित आपातकाल के कारण अनुच्छेद 19 के अन्तर्गत स्वतंत्रताएं स्थागित हो जाती हैं और संसद अपना कार्यकाल एक वर्ष के लिए बढ़ा सकती है। अत: इससे स्पष्ट होता है कि आपातकाल की घोषणा से विभिन्न प्रभाव होते हैं और केन्द्र की शक्तियां बढ़ जाती हैं।

## 2. राज्य में राष्ट्रपति शासन (अनुच्छेद 356)

अनुच्छेद 356 के अन्तर्गत भारत का राष्ट्रपति किसी राज्य के राज्यपाल से यह रिपोर्ट प्राप्त करता है कि उस विशेष राज्य में ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है कि वहां संविधान के अनुसार कार्य नहीं किया जा सकता, अथवा संवैधानिक मशीनरी असफल हो गई है- तब राष्ट्रपति आपातकाल

टिप्पणी



लागू कर सकता है। इसको राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करना भी कहते हैं। इस प्रकार के आपातकाल को संसद के दोनों सदनों द्वारा 2 महीने के अन्दर स्वीकार करना होता है अन्यथा यह स्वत: निष्प्रभावी हो जाएगा। यह छ: महीने तक वैध रहता है और इसको संसद की पुनर्समीक्षा पर प्राप्त स्वीकृति के आधार पर पुन: 6 मास के लिए बढ़ाया जा सकता है। इस प्रकार के आपातकाल में राष्ट्रपति राज्य सरकार के सभी कार्यों को अपने ऊपर ले सकता है अथवा कुछ या सारे कार्य राज्यपाल को या किसी अन्य अधिकारी को करने के लिए कह सकता है। राष्ट्रपति राज्य विधानसभा को स्थगित अथवा भंग कर सकता है। वह संसद को उस राज्य विशेष के लिए कानून बनाने के लिए भी कह सकता है।

### 3. वित्तीय आपातकाल (अनुच्छेद 360)

यदि राष्ट्रपति इस बात से सन्तुष्ट हो कि देश के वित्तीय स्थायित्व अथवा इसके किसी भाग को खतरा है तीसरे प्रकार के आपातकाल की घोषणा अनुच्छेद 360 के अन्तर्गत राष्ट्रपति द्वारा की जा सकती है। इस प्रकार के आपातकाल की घोषणा को दो महीनों के अन्दर संसद के दोनों सदनों की स्वीकृति की जरूरत होती है।

इस आपातकाल के अन्तर्गत राष्ट्रपति राज्यों को अपने कर्मचारियों के वेतन और भत्ते कम करने के लिए कह सकता है तथा राज्य के सभी धन विधेयकों को संसद के विचारार्थ रोक सकता है तथा सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों के वेतन और भत्ते कम करने के निर्देश दे सकता है। राष्ट्रपति, भारत के संवधिान के अन्तर्गत ऐसी अधिसूचना केवल मंत्रिपरिषद के लिखित अनुरोध पर ही जारी कर सकता है। जिस प्रकार राष्ट्रपति संघीय कार्यपालिका का अध्यक्ष है, उसी प्रकार राज्यपाल राज्य कार्यपालिका का अध्यक्ष होता है। राज्य सरकार में राज्यपाल की स्थिति बिल्कुल वही है जैसे केंद्रीय सरकार में राष्ट्रपपति की है। राज्यपाल राज्य की कार्यपालिका का अध्यक्ष होता है। राज्य विधानसभा द्वारा पारित सारे विधेयक राज्यपाल की स्वीकृति प्राप्त होने के बाद ही कानून बनते हैं।

## पाठ्गत प्रश्न 21.2

1. भारत के राष्ट्रपति की तीन कार्यपालिका सम्बन्धी शक्तियों का उल्लेख कीजिए।
2. भारत के राष्ट्रपति की तीन विधायी शक्तियां लिखिए।
3. सर्वोच्च न्यायालय के कोलिजियम का क्या अर्थ है?
4. **रिक्त स्थान भरिये:**
   (i) राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा अनुच्छेद ..... के अन्तर्गत की जाती है।
   (ii) किसी भी राज्य में अनुच्छेद ..... के अन्तर्गत राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है।
   (iii) वित्तीय आपातकाल की घोषणा ..... द्वारा अनुच्छेद ..... के अन्तर्गत की जाती है।

(iv) भारत के राष्ट्रपति का त्यागपत्र..... को सम्बोधित होना चाहिए।

(v) राष्ट्रपति का पद रिक्त होने पर..... स्वत: ही कार्यभार सम्भाल लेता है।

## 21.3 उप-राष्ट्रपति

भारत के संविधान में उपराष्ट्रपति पद का प्रावधान है। उपराष्ट्रपति को लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य गुप्त मतदान द्वारा अनुपातिक प्रतिनिधित्व के माध्यम से एकल संक्रमणीय मत द्वारा निर्वाचित करते हैं। उपराष्ट्रपति पद के लिए कुछ योग्यताएं निर्धारित की गई हैं। भारत का नागरिक जिसकी आयु 35 वर्ष हो चुकी हो, वह इस पद का उम्मीदवार बन सकता है बशर्ते उसके पास कोई लाभ का पद नहीं होना चाहिए।

उपराष्ट्रपति पांच वर्ष के लिए अपने पद पर बना रहता है। वह अपने पद से त्यागपत्र दे सकता है और अपना कार्यकाल पूरा होने से पहले अपना पद छोड़ सकता है तथा उसे पांच वर्ष पूरा होने से पहले भी अपने पद से हटाया जा सकता है, यदि इस आशय का प्रस्ताव लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों के बहुमत से पारित किया गया हो।

### 21.3.1 उपराष्ट्रपति के कार्य और शक्तियां

उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष (सभापति) होता है और सभापति होने के नाते उसके कार्य लोकसभा के अध्यक्ष जैसे ही हैं। वह सदन में व्यवस्था बनाए रखता है, सदस्यों को बोलने व प्रश्न पूछने के लिए समय देता है। अनिर्णय की स्थिति में वह निर्णय पर पहुंचने के लिए मतदान भी कर सकता है।

राष्ट्रपति का पद रिक्त होने की स्थिति में उपराष्ट्रपति स्वत: राष्ट्रपति के रूप में कार्य करने लगता है परन्तु यह अवधि 6 मास से अधिक नहीं हो सकती। इस अवधि में उसे राष्ट्रपति के सारे अधिकार व शक्तियां प्राप्त होती हैं। यदि किसी अन्य अस्थायी कारणवश राष्ट्रपति अपने कर्त्तव्य का निर्वहण नहीं कर सकता तो दायित्व सौंपे जाने पर वह राष्ट्रपति के सारे कार्य करता है।

### क्रियाकलाप 21.1

कालक्रमानुसार भारत से सभी उप-राष्ट्रपतियों की एक सूची बनाईये।

### पाठ्गत प्रश्न 21.3

1. उपराष्ट्रपति को अपने पद से कैसे हटाया जा सकता है?
2. उपराष्ट्रपति पद का कार्यकाल कितना है?
3. उपराष्ट्रपति के किन्हीं दो कार्यों का वर्णन कीजिए।

## 21.4 प्रधानमंत्री और उसकी मंत्री-परिषद

जैसा कि पहले चर्चा की गई है कि कार्यपालिका के अस्थायी और राजनीतिक भाग में प्रधानमंत्री और उसकी मंत्रीपरिषद होती है। राष्ट्रपति की कार्यपालिका सम्बन्धी शक्तियों का वास्तविक प्रयोग प्रधानमंत्री के नेतृत्व में मंत्री परिषद ही करती है। राष्ट्रपति राज्य का संवैधानिक अध्यक्ष तथा सरकार का नाममात्र का अध्यक्ष होता है लेकिन प्रधानमंत्री और उसकी मंत्रीपरिषद सरकार की वास्तविक मुखिया होती है। संविधान के अनुसार भारत के प्रधानमंत्री को राष्ट्रपति नियुक्त करता है परन्तु ऐसे नियुक्त व्यक्ति को लोकसभा के बहुमत का समर्थन प्राप्त होना चाहिए।

### 21.4.1 प्रधानमंत्री की नियुक्ति

साधारण चुनावों के बाद यदि किसी एक पार्टी को स्पष्ट बहुमत प्राप्त हो जाता है (निर्वाचित सदस्यों के आधे से अधिक) तब राष्ट्रपति उस पार्टी के नेता को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करता है और उसको प्रधानमंत्री नियुक्त करता है। यदि ऐसी पार्टी का नेता संसद का सदस्य न हो तो उसको संसद/लोकसभा अथवा राज्यसभा का छः महीने के अन्दर निर्वाचित सदस्य बनना होता है। ऐसा सम्भव है कि किसी भी पार्टी को बहुमत प्राप्त न हो तो उस स्थिति में राष्ट्रपति ऐसे व्यक्ति को आमंत्रित करता है जिसे लोकसभा के सदस्यों के बहुमत को जीतने की योग्यता तथासम्भावना होती है। एक बार नियुक्त किए जाने के बाद प्रधानमंत्री तब तक अपने पद पर रहता है जब तक उसे लोकसभा के सदस्यों के बहुमत का समर्थन प्राप्त रहता है। प्रायः प्रधानमंत्री लोकसभा का निर्वाचित सदस्य तथा लोकसभा में बहुमत प्राप्त पार्टी का नेता होता है, लेकिन ऐसा अनिवार्य नहीं है। प्रधानमंत्री; लोकसभा का सदस्य न होते हुए भी पद पर रह सकता है। श्रीमती इन्दिरा गांधी 1966 में जब प्रधानमंत्री नियुक्त हुई थीं तब वह लोकसभा की सदस्य नहीं थी। 1997 में इन्द्र कुमार गुजराल भी लोकसभा के नहीं अपितु राज्यसभा के सदस्य थे। हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री डा. मनमोहन सिंह भी राज्यसभा के सदस्य हैं अतः यह बिल्कुल स्पष्ट है कि प्रधानमंत्री किसी भी सदन का निर्वाचित सदस्य होना चाहिए।

मंत्रिपरिषद के सदस्यों को राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर नियुक्त करता है। प्रधानमंत्री अपनी मंत्रिपरिषद में किसी को भी चुनने एवं रखने के लिए स्वतंत्र है। वह अपने मंत्रियों को विभाग बांटता है और जब चाहे उनके विभाग को बदल भी सकता है। यदि किसी ऐसे व्यक्ति को मंत्री नियुक्त किया जाता है जो संसद का सदस्य नहीं है तो उसे अपनी नियुक्ति के 6 मास के अन्दर संसद के किसी एक सदन का सदस्य निर्वाचित होना पड़ता है।

आजकल मंत्रियों की तीन श्रेणियां हैं- केबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) और राज्य मंत्री। केबिनेट मंत्री प्रायः अधिक महत्वपूर्ण होते हैं और केबिनेट की बैठकों में उपस्थित रहते हैं। राज्य मंत्री केबिनेट मंत्री के बाद आते हैं और प्रायः केबिनेट मंत्री की सहायता करते हैं। कुछ राज्य मंत्रियों के पास स्वतंत्र प्रभार होता है और उनका कोई केबिनेट मंत्री नहीं होता। सभी मंत्री सामूहिक रूप से और व्यक्तिगत रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी एवं जवाबदेह हैं।

### 21.4.2 प्रधानमंत्री के कार्य और शक्तियां

भारत का प्रधानमंत्री कार्यपालिका और सरकार का वास्तविक अध्यक्ष होता है। उसकी स्थिति बहुत महतवपूर्ण है और वह भारत के राष्ट्रपति का मुख्य सलाहकार होता है। प्रधानमंत्री

मंत्रीपरिषद का गठन करता है और प्रत्येक मंत्री तब तक अपने पद पर बना रहता है जब तक उसे प्रधानमंत्री का विश्वास प्राप्त होता है। प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का मुखिया होता है और किसी भी मंत्री का विभाग बदल सकता है अथवा जब चाहे किसी भी मंत्री को अपने पद से हटाने की सिफारिश भी कर सकता है।

प्रधानमंत्री केबिनेट तथा मंत्री परिषद की मीटिंग की अध्यक्षता करता है और उसका संचालन करता है वह सरकार का मुख्य प्रवक्ता होता है। वह सरकार की नीतियों के लिए उत्तरदायी है। वह विदेश नीति का मुख्य निर्माता होता है तथा सभी अन्तर्राष्ट्रीय समझौते और सन्धियां प्रधानमंत्री की सहमति से होती हैं। प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और केबिनेट के बीच की कड़ी होता है। वह राष्ट्रपति को केबिनेट/सरकार की नीतियों से सम्बन्धित निर्णयों तथा अन्तर्राष्ट्रीय मंचों पर हुई बातचीत से सूचित रखता है। वह सत्ताधारी पार्टी का नेता होता है।

### 21.4.3 मंत्रीपरिषद और केबिनेट

मंत्रिपरिषद में सभी श्रेणी के मंत्री होते हैं परन्तु केबिनेट में केवल केबिनेट मंत्री ही होते हैं। विभिन्न प्रकार के निर्णय लेने के लिए केबिनेट के बैठकें नियमित होती हैं परन्तु मंत्रिपरिषद की बैठक कदाचित ही होती हैं। प्राय: सरकार की नीतियां और कार्यक्रम केबिनेट में ही तय होते हैं न कि मंत्री परिषद में। एक संविधान संशोधन द्वारा मंत्रियों की अधिकतम संख्या पर सीमा लगा दी गई है और यह लोकसभा की कुल सदस्य संख्या के 15% से अधिक नहीं हो सकती।

### 21.4.4 केबिनेट और मंत्री परिषद के कार्य और शक्तियां

राष्ट्रपति की कार्यपालिका सम्बन्धी सभी शक्तियों का प्रयोग प्रधानमंत्री के नेतृत्व में केबिनेट अथवा मंत्रिपरिषद द्वारा किया जाता है। यह सभी आन्तरिक और बाह्य नीतियां तैयार करती है। केबिनेट/मंत्रीपरिषद संसद के अधिवेशन के लिए विषय (एजेन्डा) तैयार करती है। यह राष्ट्रपति के अभिभाषण का मसौदा भी तैयार करती है। जब संसद का अधिवेशन नहीं चल रहा होता तो यह अध्यादेश जारी करने के लिए उत्तरदायी होती है। संसद के अधिवेशन भी केबिनेट/मंत्रीपरिषद की सलाह पर बुलाए जाते हैं।

## पाठ्गत प्रश्न 21.4

अ) रिक्त स्थान भरिये।

1. प्रधानमंत्री सरकार का ..... मुखिया होता है।
2. प्रधानमंत्री ..... और ..... के बीच कड़ी होता है।
3. राष्ट्रपति मंत्रियों को ..... की ..... पर नियुक्त करता है

टिप्पणी



ब) निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए।

1. मंत्रीपरिषद का अध्यक्ष कौन होता है?
2. मंत्रियों की किन्हीं दो श्रेणियों को उल्लेख कीजिए।

## 21.5. राज्यों में कार्यपालिका

### 21.5.1 राज्यपाल

भारत के संविधान के अनुसार राष्ट्रपति प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल नियुक्त करता है। दो या अधिक राज्यों का एक ही राज्यपाल हो सकता है। आईये हम राज्य कार्यपालिका के अध्यक्ष के रूप में राज्यपाल की योग्यताओं, शक्तियों, कार्यों और स्थिति का अध्ययन करें।

#### अ) नियुक्ति के लिए योग्यताएं

किसी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। राज्यपाल नियुक्त होने के लिए अनुच्छेद 157-158 के अनुसार निम्नलिखित योग्यताएं होनी चाहिए।

(i) वह भारत का नागरिक होना चाहिए।

(ii) वह 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो/चुकी हो।

(iii) उसके पास लाभ का कोई पद नहीं होना चाहिए।

#### ब) राज्यपाल का कार्यकाल (अनुच्छेद 156 के अनुसार)

(i) राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यन्त अर्थात जब तक राष्ट्रपति की इच्छा हो, अपने पद पर बना रहता है।

(ii) राज्यपाल अपने पद से त्यागपत्र दे सकता हे अन्यथा वह अपना पद ग्रहण करने की तिथि से लेकर पांच वर्ष तक अपने पद पर रह सकता है।

### 21.5.2 राज्यपाल की शक्तियां

राज्यपाल की कार्यपालिका, विधायी, वित्तीय और कुछ अन्य महत्वपूर्ण विविध शक्तियां होती हैं।

#### (i) कार्यपालिका सम्बन्धी शक्तियां

राज्यपाल राज्य कार्यपालिका का अध्यक्ष होता है। राज्य में कार्यपालिका सम्बन्धी सभी कार्य राज्यपाल के नाम से होते हैं। वह अनेक महत्वपूर्ण नियुक्तियां करता है। वह मुख्यमंत्री को नियुक्त करता है और उसकी सिफारिश पर अन्य मंत्रियों को नियुक्त करता है। राज्य के महान्यायवादी (एटार्नी जनरल) तथा राज्य लोक सेवा संघ के अध्यक्ष एवं अन्य सदस्यों को राज्यपाल नियुक्त करता है। राज्यपाल ये सारे कार्य मुख्यमंत्री के नेतृत्व में मंत्रिपरिषद की सहायता और सलाह से करता है।

### (ii) विधायी शक्तियां

राज्यपाल राज्य विधायिका का अभिन्न अंग होता हे। वह राज्य विधायिका का अधिवेशन बुला सकता है और स्थगित भी कर सकता है। वह राज्य विधानसभा के अधिवेशन को संबोधित कर सकता है अथवा दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन को भी संबोधित कर सकता है- (यदि किसी राज्य में दो सदन हों)। यदि किसी राज्य में विधान परिषद हो तो राज्यपाल उसकी कुल सदस्य संख्या के 1/6 सदस्यों को मनोनीत कर सकता है।

विधानसभा द्वारा पारित कोई भी विधेयक राज्यपाल की स्वीकृति के बाद कानून बन जाता है। जब विधानसभा का अधिवेशन न चल रहा हो तो उसे अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त है। ये अध्यादेश कानून की शक्ति रखते हैं।

### (iii) वित्तीय शक्तियां

(I) कोई भी धन विधेयक राज्यपाल की पूर्व अनुमति के बिना विधानसभा में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता।

(II) वार्षिक बजट अथवा अनुपूरक बजट राज्यपाल के नाम पर प्रस्तुत किया जाता है।

(III) राज्यपाल का राज्य की आकस्मिक निधि पर पूरा नियंत्रण होता है।

### (iv) विविध शक्तियां

(अ) राज्यपाल के पास किसी को भी माफ करने, राहत देने, सजा माफ करने अथवा स्थगित करने, माफ करने अथवा रूपान्तरित करने की शक्ति वहां तक है जहां तक राज्य की कार्यपालिका शक्तियों का विस्तार है।

(ब) राज्यपाल, राज्य के अध्यक्ष तथा केंद्रीय सरकार के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करता है और उसे कुछ विवकाधीन शक्तियां प्राप्त हैं-

(क) यदि किसी समय राज्यपाल को ऐसा अनुभव हो कि राज्य सरकार भारत के संविधान के अनुसार कार्य नहीं कर रही है अथवा उसके अनुसार कार्य करने में सक्षम नहीं है तो वह भारत के राष्ट्रपति को राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करने की भी सिफारिश कर सकता है।

(ख) यदि किसी भी पार्टी को बहुमत प्राप्त नहीं हो तो राज्यपाल अपने विवेक से किसी को मुख्यमंत्री नियुक्त कर सकता है।

(ग) कुछ विशेष परिस्थितियों में राज्यपाल किसी भी विधेयक को राष्ट्रपति के विचारार्थ रोक सकता है।

## 21.5.3 मुख्यमंत्री

प्रत्येक राज्य में राज्यपाल को सहायता एवं परामर्श देने के लिए एक मंत्री परिषद होती है। राज्य में मुख्यमंत्री राज्य का वास्तविक अध्यक्ष (मुखिया) होता है। राज्य स्तर पर मुख्यमंत्री के नेतृत्व में मंत्रिपरिषद वास्तविक सत्ता होती है।

टिप्पणी



मुख्यमंत्री को राज्यपाल नियुक्त करता है। राज्य विधानसभा में जिस व्यक्ति को बहुमत का समर्थन प्राप्त हो, राज्यपाल उसको मुख्यमंत्री नियुक्त करता है। अन्य मंत्रियों को राज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह पर नियुक्त करता है। मंत्रिपरिषद में सम्मिलित मंत्रियों को किसी एक सदन का सदस्य अवश्य होना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति किसी भी सदन का सदस्य नहीं है और उसे मंत्री नियुक्त कर दिया जाता है तो वह अपने पद पर तभी रह सकता जब वह अपनी नियुक्ति के 6 मास के अन्दर किसी एक सदन के लिए निर्वाचित कर लिया जाता है। मंत्रिपरिषद के सदस्यों को राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री की सलाह पर विभाग दिए जाते हैं।

### 21.5.4 मुख्यमंत्री के कार्य और शक्तियां

मुख्यमंत्री अपने राज्य की मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष होता है। मुख्यमंत्री की स्थिति न्यूनाधिक प्रधानमंत्री की स्थिति की तरह ही होती है। मुख्यमंत्री राज्य के प्रशासन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। हम उसके कार्यों और शक्तियों पर निम्नलिखित प्रकार से चर्चा कर सकते हैं।

1. मुख्यमंत्री राज्य सरकार का वास्तविक मुखिया होता है। मंत्री, मुख्यमंत्री की सलाह पर राज्यपाल द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। मंत्रियों को राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री की सलाह पर विभाग वितरित किए जाते हैं।
2. मुख्यमंत्री मंत्री परिषद की बैठकों की अध्यक्षता करता है। वह विभिन्न मंत्रालयों के बीच तालमेल का काम करता है। वह केबिनेट/मंत्री परिषद की कार्यप्रणाली को मार्ग दर्शन देता है/देती है।
3. मुख्यमंत्री, राज्य सरकार की नीतियों और कानून निर्माण में केंद्रीय भूमिका निभाता है। मंत्री; उसकी स्वीकृति से ही विधेयक प्रस्तुत करते हैं। वह विधानसभा के अन्दर और बाहर अपनी सरकार की नीतियों का मुख्य प्रवक्ता होता/होती है।
4. संविधान में प्रावधान है कि मुख्यमंत्री मंत्री परिषद के प्रशासन सम्बन्धी निर्णयों, राज्य के कार्यों तथा प्रस्तावित विधेयकों की पूरी जानकारी राज्यपाल को देता है।
5. यदि राज्यपाल चाहे तो मुख्यमंत्री किसी मंत्री द्वारा लिए गए निर्णय को मंत्री परिषद के विचारार्थ प्रस्तुत कर सकता है, जिस पर केबिनेट ने कोई निर्णय न लिया हो।
6. मुख्यमंत्री, राज्यपाल और मंत्री परिषद के बीच एकमात्र कड़ी है। उसके पास केबिनेट अथवा मंत्री परिषद द्वारा लिए गए निर्णयों को राज्यपाल को सूचित किए जाने का अधिकार है।

अत: यह स्पष्ट है कि वास्तविक अधिकार मुख्यमंत्री के नेतृत्व में मंत्रिपरिषद में निहित है। राज्य की वास्तविक कार्यपालिका मुख्यमंत्री के नेतृत्व में मंत्रिपरिषद ही है।

### पाठ्गत प्रश्न 21.5

रिक्त स्थान भरिये।

1. किसी राज्य के राज्यपाल को ..... नियुक्त करता है।
2. राज्यपाल अपनी नियुक्ति की तिथि से ..... वर्ष की अवधि तक अपने पद पर रहता है।

3. राज्यपाल को उसका कार्यकाल ..... होने से पहले ..... द्वारा पद से हटाया जा सकता है।
4. मुख्यमंत्री राज्य सरकार का ..... मुखिया होता है।
5. मुख्यमंत्री को ..... द्वारा नियुक्त किया जाता है।

## आपने क्या सीखा

केंद्रीय सरकार के तीन अंग होते हैं- विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। कार्यपालिका दो भागों में बंटी होती है। अस्थायी कार्यपालिका में राष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद होती है तथा स्थायी कार्यपालिका में सरकारी अधिकारी और कर्मचारी आते हैं। भारत का राष्ट्रपति कार्यपालिका का मुखिया तथा राज्य का अध्यक्ष होता है। राष्ट्रपति की कार्यपालिका सम्बन्धी सभी शक्तियों का प्रयोग प्रधानमंत्री के नेतृत्व में मंत्रिपरिषद ही करती है। राष्ट्रपति का चुनाव एक निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता है जिसमें संसद के सभी निर्वाचित सदस्य, सभी राज्यों की विधानसभाओं तथा संघीय क्षेत्र दिल्ली और पांद्दुचेरी की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं। राष्ट्रपति का चुनाव गुप्त मतपत्रों द्वारा अनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर एकल संक्रमणीय मत प्रणाली द्वारा किया जाता है। राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष होता है। भारत के राष्ट्रपति का महाभियोग द्वारा अपने पद से अपदस्थ किया जा सकता है। राष्ट्रपति के पास विधायी, कार्यपालका और न्यायिक शक्तियां होती हैं। वह अधिकांश महत्वपूर्ण नियुक्तियां करता है जैसे संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों एवं अध्यक्ष, भारत के महान्यायवादी, महालेखाकार एवं नियंत्रक, मुख्य चुनाव अधिकारी एवं अन्य अधिकारी। वह संसद का अभिन्न अंग है और संसद का अधिवेशन बुला सकता है और स्थगित कर सकता है।

वह प्रतिवर्ष संसद के दोनों सदनों के प्रथम संयुक्त अधिवेशन को सम्बोधित करता है। राष्ट्रपति भारत की आकस्मिक निधि का संरक्षक होता हे। वह अपनी शक्तियों के प्रयोग के लिए किसी भी न्यायालय में जवाबदेह नहीं है। राष्ट्रपति किसी अपराधी को माफ कर सकता है और किसी दोषी पाए गए व्यक्ति की सजा कम कर सकता है। भारत के राष्ट्रपति के पास विस्तृत आपतकालीन शक्तिया भी हैं।

भारत का संविधान उप राष्ट्रपति पद का प्रावधान करता है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है और सदन की व्यवस्था के सुचारू रूप से संचालन के लिए उत्तरदायी होता है। राष्ट्रपति का पद रिक्त होने की अवस्था में वह राष्ट्रपति के रूप में तब तक कार्य करता है जबतक कि राष्ट्रपति का चुनव नहीं हो जाता; जो कि पद रिक्त होने के 6 मास के भीतर कर लिया जाता है।

प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद राष्ट्रपति की कार्यपालिका सम्बन्धी शक्तियों का प्रयोग करते हैं। प्रधानमंत्री राष्ट्रपति का मुख्य सलाहकार होता है। वह राष्ट्रपति और संसद के बीच कड़ी होता है। भारत का प्रधानमंत्री कार्यपालिका और सरकार का वास्तविक मुखिया होता है। उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है और वह बहुमत प्राप्त दल अथवा गठबन्धन का नेता होता हे। वह सरकार का मुख्य प्रवक्ता तथा सरकार की नीतियों और कार्यक्रमों का मुख्य निर्माता होता है।

प्रधानमंत्री मंत्रियों को नियुक्त कर सकता है, उनके विभाग बदल सकता है और मंत्री भी बदल सकता है। प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को मंत्री परिषद के सभी निर्णयों तथा सरकार और राज्य में होने वाली घटनाओं से सूचित रखता है।

मंत्रिपरिषद में तीन श्रेणियों के मंत्री होते हैं- केबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) तथा राज्य मंत्री। केबिनेट मंत्री प्राय: बहुमत प्राप्त पार्टी के वरिष्ठ नेता होते हैं। मंत्री परिषद के अधिकांश निर्णय केबिनेट द्वारा लिए जाते हैं।

राजयपाल राज्य का संवैधानिक अध्यक्ष होता है। राज्य की वास्तविक कार्यपालिका मुख्यमंत्री के नेतृत्व में मंत्री परिषद होती है।

## पाठान्त प्रश्न

1. भारत के राष्ट्रपति पद के लिए आवश्यक योग्यताए लिखिए।
2. भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है? उसके चुनाव की विधि लिखिए।
3. राष्ट्रपति की कार्यपालिका सम्बन्धी शक्तियों का वर्णन कीजिए।
4. भारत के राष्ट्रपति की विधायी और वित्तीय शक्तियों की व्याख्या कीजिए।
5. देश की कार्यपालिका के अध्यक्ष के रूप में राज्यपाल की भूमिका पर चर्चा कीजिए।
6. देश की कार्यपालिका के अध्यक्ष के रूप में राज्यपाल की भूमिका पर चर्चा कीजिए।
7. राज्यपाल और मुख्यमंत्री के बीच सम्बन्धों का वर्णन कीजिए।

सभी निर्वाचित विधायकों के सदस्यों के मतों का कुल मूल्य
संसद के कुल निर्वाचित सदस्यों की संख्या

## पाठ्यगत प्रश्नों के उत्तर

**21.1**

1. लोकसभा, राज्यसभा और सभी राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य
2. भारत का राष्ट्रपति।
3. भारत का नागरिक होना चाहिए, 35 वर्ष से कम आयु का नहीं होना चाहिए और उसके पास लाभ का कोई पद नहीं होना चाहिए।
4. एक विधायक के मत का मूल्य $= \frac{\text{राज्य की कुल जनसंख्या}}{\text{निर्वाचित सदस्यों की कुल संख्या}} \times \frac{1}{1000}$
5.

6. कोटा- =

7. महाभियोग

8. त्यागपत्र, मृत्यु अथवा महाभियोग द्वारा अपदस्थ करना।

9. उपराष्ट्रपति

## 21.2

1. (i) प्रधानमंत्री, राज्यपालों और सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति

   (ii) सशस्त्र सेना के मुख्य सेनापति के रूप में युद्ध अथवा शांति की घोषणा करता है।

   (iii) संघीय संसद द्वारा लागू किए गए सभी कानून उसके नाम से लागू किए जाते हैं।

2. (i) राष्ट्रपति संसद का अधिवेशन बुला अथवा स्थगित कर सकता है।

   (ii) वह राज्यसभा के 12 सदस्यों को मनोनीत कर सकता है।

   (iii) मतभेद की स्थिति में वह दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन बुला सकता है।

3. सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को नियुक्त करने की शक्ति सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठ न्यायाधीशों के बने पेनल को दे दी गई है जिसे कोलेजियम कहा जाता है।

   कुल डाले गए वैध मत
   1 + 1 = (2)

4. (i) 352; (ii) 356; (iii) राष्ट्रपति, 360; (iv) उपराष्ट्रपति; (v) उपराष्ट्रपति

## 21.3

1. राज्य सभा और लोक सभा के सदस्यों के बहुमत से अलग-अलग पारित प्रस्तावों द्वारा

2. 5 वर्ष

3. (i) वह राज्य सभा का पदेन अध्यक्ष होता है

   (ii) वह राष्ट्रपति का पद रिक्त होने परे कार्यभार सम्भालता है।

## 21.4

**A.** 1. वास्तविक

2. प्रधानमंत्री

3. मंत्रिपरिषद और राष्ट्रपति

4. राष्ट्रपति की सलाह पर

टिप्पणी



**B.** 1. प्रधानमंत्री

2. (i) केबिनेट मंत्री,

(ii) राज्यमंत्री

## 21.5

1. राष्ट्रपति
2. पांच
3. राष्ट्रपति, कार्यकाल समाप्त होने पर
4. वास्तविक
5. राज्यपाल